जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), शेखपुरा

स्टेशन रोड, शेखपुरा, पिन- 811105

E-mail: dietsheikhpuraskp@gmail.com, Web.: www.dietsheikhpura.in

नामांकन संबंधी सूचना

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट), शेखपुरा, में डी० एल० एड०, सत्र 2020–22 प्रथम वर्ष में नामांकन हेतु कॉउंसिलिंग के उपरांत तृतीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाता है।

1. तृतीय चयन सूची से नामांकन दिनांक–25.02.2021 से 26.02.2021 तक कार्यालय अवधि में लिया जायेगा।
2. अभ्यर्थियों को निम्नांकित मूल दस्तावेजों के साथ स्वअभिप्रमाणित दो छाया प्रति लाना अनिवार्य है।
   (क) मैट्रिक/फौकानिया/दसवीं या इसके समकक्ष परीक्षा का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र।
   (ख) इंटर/मौलवी/का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र।
   (ग) विद्यालय/महाविद्यालय का मूल परित्याग प्रमाण पत्र (SLC/CLC)
   (घ) उच्च योग्यता का मूल अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र। (स्नातक या इससे ऊपर योग्यता का)
   (ङ.) चिकित्सा प्रमाण पत्र (असैनिक शैल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत)
   (च) आरक्षित कोटि के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र।
   (छ) दिव्यांग कोटि के लिए सक्षम पदाधिकारी का मूल प्रमाण पत्र।
   (ज) अभ्यर्थी इस आशय का एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है एवं सभी अभिलेख सही है। गलत जानकारी या अभिलेख सही नहीं होने की स्थिति में मेरा नामांकन रदद् किया जा सकता है। इसके लिए मैं भविष्य में दावा नहीं करूँगा।
   (झ) एक कभर फाईल। (कभर फाईल पर अपना नाम, पिता का नाम, आवेदन सं०, संकाय एवं Whatapps मोबाईल नम्बर, ई–मेल अंकित करें)
   (ञ) पासपोर्ट आकार का नवीनतम तीन रंगीन फोटो।
3. अभ्यर्थी को सभी दस्तावेजों के मिलान के उपरांत नामांकन शुल्क के रूप में सामान्य, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कोटि के लिए नामांकन शुल्क 11,500/–(ग्यारह हजार पाँच सौ रूपये मात्र) एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग कोटि के लिए 7000/–(सात हजार रूपये मात्र) का भुगतान हेतु संस्थान के लिंक (https://www.onlinesbi.com/icollecthome.htm?corpID=896844) पर 1st Year Admission Fee का विकल्प के साथ संबंधित कोटि का चयन कर निर्धारित शुल्क I-Collect के माध्यम से जमा कर Generate पर्ची को उसी दिन संस्थान में जमा करना होगा। नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
4. मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र सत्यापन के उपरान्त ही वापस किया जायेगा।
5. नामांकन चयन समिति द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि नामांकन हेतु निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी का नामांकन से संबंधित दावा स्वतः समाप्त हो जायेगा एवं उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची के आधार पर नामांकन लिया जाएगा।
6. नामांकन औपबंधिक रूप से लिया जायगा तथा नामांकन पश्चात् किसी भी स्तर पर त्रुटि या प्रमाण पत्र के सत्यापन में त्रुटिपूर्ण अथवा फर्जी पाया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी का नामांकन रद्द करते हुए उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने की बाध्यता होगी।
7. नामांकन के उपरांत प्रशिक्षुओं को संस्थान के छात्रावास में रहना अनिवार्य है।

24/02/2021

प्राचार्य
डायट शेखपुरा

प्रभारी प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
शेखपुरा